न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी डॉ. नीरज के. पवन, आई.ए.एस.

अपील संख्याः 111/2016 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2016/00137

प्रेम कुमार पुत्र श्री गज्जन सिंह जाति अरोड़ा निवासी गांव रत्तेवाला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

—— अपीलान्ट

बनाम

1. बलदेवराज अरोड़ा पुत्र श्री गज्जन सिह जाति अरोड़ा निवासी मकान नं. 66–ए गली नम्बर 2, सेतियां कॉलोनी, श्रीगंगानगर।
2. शशी बाला पुत्री गज्जन सिंह पत्नी श्री मदनलाल जाति अरोड़ा निवासी मकान नं. 3036 फेज–7 मोहाली (पंजाब)।
3. सुदेश कुमारी पत्नी स्व. सूरजभान जाति अरोड़ा निवासी रत्तेवाला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
4. वीना रानी पत्नी स्व. श्री धर्मवीर पुत्र श्री गज्जन सिंह जाति अरोड़ा निवासी मकान नंबर 2670 गली नं. 5 गांधी नगर, बंगा, जिला नवाशहर दोआबा पंजाब।
5. श्वेता पत्नी प्रेमकुमार पुत्री धर्मवीर जाति अरोड़ा निवासी गांधी नगर बंगा जिला नवाशहर दोआबा (पंजाब)।
6. ममता पुत्री स्व. श्री धर्मवीर धर्मपत्नी श्री राजकमल जाति अरोड़ा निवासी बसीया तहसील व जिला लुधियाना।
7. राघव पुत्र स्व. श्री धर्मवीर जाति अरोड़ा आयु 13 वर्ष नाबालिग जरिये निकटवर्ती मित्र व कुदरती वली माता वीना रानी पत्नी स्व. धम्रवीर पुत्र श्री गज्जन सिंह जाति अरोड़ा निवासी मकान नंबर 2670 गली नंबर 5 गांधी नगर बंगा जिला नवाशहर दोआबा (पंजाब)।
8. तहसीलदार भू–अभिलेख तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

—— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री महावीर प्रसाद शर्मा *अभिभाषक अपीलांट*
श्री मदन सुरोलिया
श्री सत्यपाल सहू *अभिभाषक रेस्पोडेंट सं. 1*

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

निर्णय

दिनांक 21.09.2022

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशा.) श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 29.06.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है –

1– विवादित भूमि चक नं. 9 बी.बी. तहसील पदमपुर के मु.नं. 36 के किला नंबर 6 ता 9, 11/1 से 15/1 की कुल 1.488 हैक्टेयर अर्थात 5 बीघा 17–1/2 बिस्वा खरीदशुदा खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि की अपीलांट की माता राजकुमारी ने अपीलांट के हक में वसीयत दिनांक 23.01.1998 को कर दी थी। राजकुमारी का देहान्त दिनांक 25.04.2009 हो जाने के उपरांत अपीलांट ने वसीयत के आधार पर तहसीलदार पदमपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर इंतकाल संख्या 274 दिनांक 24.08.2009 अपने नाम दर्ज करवा लिया। इंतकाल संख्या 274 दिनांक 24.08.2009 के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशा.) श्रीगंगानगर ने उक्त अपील में निर्णय पारित करते हुए दिनांक 29.06.2016 को प्रकरण तहसीलदार पदमपुर को रिमाण्ड कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 29.06.2016 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री मदन सुरोलिया ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांट की माता राजकुमारी ने चक नं. 9 बी.बी. तहसील पदमपुर के मु.नं. 36 के किला नंबर 6 ता 9, 11/1 से 15/1 की कुल 1.488 हैक्टेयर अर्थात 5 बीघा 17–1/2 बिस्वा खरीदशुदा खातेदारी भूमि अपीलांट के हक में वसीयत कर दी। अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशा.) श्रीगंगानगर ने अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए वसीयत के आधार पर दर्ज इंतकाल संख्या 274 निरस्त कर दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा तहसीलदार पदमपुर के आदेश दिनांक 07.08.2009 की कोई अपील नहीं की गई, जबकि जैर अपील इंतकाल इसी आदेश के तहत दर्ज किया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने इंतकाल के गुणदोष के प्रश्न पर अपने निर्णय में इंतकाल अपीलांट के हक में सही दर्ज किया जाना माना है। अपीलांट जैर अपील भूमि पर अपनी माता राजकुमारी के देहान्त से ही काबिज चला आ रहा है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

माननीय आयुक्त
बीकानेर

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 श्री सत्यपाल सहू ने बहस के दौरान कथन किया कि तहसीलदार पदमपुर ने अपीलांट के वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सीधे ही वसीयत की जांच किये बिना ही इंतकाल दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये। तहसीलदार पदमपुर ने विवादित इंतकाल संख्या 274 दिनांक 24.08.2009 दर्ज करने का आदेश पारित करने से पूर्व रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस भी जारी नहीं किये, जबकि रेस्पोडेन्ट्स मृतक राजकुमारी के वारिसान है। राजकुमारी ने कोई वसीयत अपीलांट के हक में न ता निष्पादित की और ना ही पंजीबद्ध करवाई। अपने दूसरे पुत्र, पुत्रियों को छोड़कर अकेले अपीलांट के हक में वसीयत करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है, वसीयत कूटरचित हैं। रेस्पोडेन्ट्स की गैर हाजिरी में बिना उन्हें बताये व सुने कानून व नियमों के विपरीत आदेश दिनांक 07.08.2009 का तहसीलदार पदमपुर का आदेश अवैधानिक है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

4— हमने अधिनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। विवादित भूमि के संबंध में जारी इंतकाल संख्या 274 स्वीकृत दिनांक 24.08.2009 के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट होता है कि आराजी जैर राजकुमारी पुत्री भगवानदास की स्वअर्जित सम्पति है। कानूनी रूप से स्वअर्जित सम्पति की वसीयत किसी भी एक पक्ष के हक में निष्पादित की जा सकती हैं। ऐसी स्थिति में अपीलांट की माता राजकुमारी द्वारा अपीलांट के हक में की गई वसीयत के आधार पर दर्ज इंतकाल संख्या 274 स्वीकृत दिनांक 24.08.2009 विधिसम्मत रूप से दर्ज किया जाना प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशा.) श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.06.2016 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार पदमपुर द्वारा दर्ज इंतकाल संख्या 274 दिनांक 24.08.2009 यथावत रखा जाता हैं।

5— तदानुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 21.09.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर